रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2008/आश्विन 7, 1930
No. 532] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2008/ASVINA 7, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 699(अ).— केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में यथा लागू पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 15) का विस्तारण निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ पर करती है, नामत: :—

आशोधन

धारा 1 में,—

(क) उप-धारा (1) में "पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2006" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2006" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. यू-11020/2/2008-यूटीएल]
बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2008

G.S.R. 699(E).— In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 2006 (15 of 2006), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

In Section 1,—

(a) in sub-section (1), for the words, brackets and figures "the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 2006", the words, brackets and figures "the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 2006, as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It shall come into force at once".

[F. No. U-11020/2/2008-UTL]
B. BHAMATHI, Jt. Secy.

3776 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.